



मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

Tel. No. : (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail : ceomprda@gmail.com

क्रमांक 15358

भोपाल, दिनांक : 21/6/17

:: आदेश ::

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति की 54वीं बैठक दिनांक 09/06/2017 के एजेण्डा क्र. 54/7 में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का अधिनस्थ अधिकारी/गठित समिति को निम्नानुसार प्रत्योजन किया जाता है:-


क्र.	शक्तियों/अधिकारों का नाम	प्राधिकारी/समिति जिसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमारक
1	2	3	4	5
प्रशासन प्रभाग				
1	प्रतिनियुक्ति पर अमले की नियुक्ति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	श्रेणी-3 एवं 4 (अकार्यपालिक)	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
2	संविदा पर अमले की नियुक्ति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	श्रेणी-3 एवं 4 (अकार्यपालिक)	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
3	संविदा अमले के अनुबंध का संपादन/क्रियान्वयन	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
4	आउटसोर्स के माध्यम से अमले की व्यवस्था हेतु निविदा दर स्वीकृत करना	क्रय समिति	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
5	आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले अमले की संख्या का अनुमोदन एवं अनुबंध का क्रियान्वयन	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
6	आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक एवं संविदा कर्मियों का मानदेय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
7	अवकाश की स्वीकृति (अ) आकस्मिक अवकाश	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	मुख्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक एवं इससे नीचे के अधिकारियों/कर्मचारियों	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
	(ब) अर्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	मुख्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक एवं इससे नीचे के अधिकारियों/कर्मचारियों	
8	भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन	संबंधित प्रभाग के मुख्य महाप्रबंधक	मुख्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक एवं इससे नीचे के अधिकारियों/कर्मचारियों	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
9	शासकीय सेवकों को यात्रा हेतु विशेष साधन, टैक्सी एवं अन्य वाहनों सहित आवागमन के लिये	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मुख्यालय में एवं पीआईयू में पदस्थ महाप्रबंधक एवं उनके नीचे के अधिकारियों

क्र.	शक्तियों/अधिकारों का नाम	प्राधिकारी/समिति जिसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमार्क
	अधिकृत/अनुमति प्रदान करना			एवं कर्मचारियों के लिए
10	शासकीय प्रवास पर शासकीय सेवकों को उनको उनकी पात्रता से उच्च श्रेणी के आवासीय व्यवस्था हेतु अधिकृत/अनुमति प्रदान करना	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मुख्यालय में एवं पीआईयू में पदस्थ महाप्रबंधक एवं उनके नीचे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए
11	यात्रा अग्रिम/एलटीसी के लिये अनुमोदन एवं स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	मुख्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक एवं इससे नीचे के अधिकारियों/कर्मचारियों	मुख्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक एवं इससे नीचे
12	प्रशिक्षण सामग्री, प्रदर्शनी, कार्यशाला आयोजन इत्यादि के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	क्रय समिति	संपूर्ण अधिकार	-
13	अनुवाद कार्य के लिये प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	-
14	कार्यालय सामग्री, कार्यालय उपकरण, अन्य विविध सामग्री, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फर्नीचर और फिक्चर, किताबें, पत्रिकाओं और समाचार पत्र, उपभोज्य (Consumable) भंडार और कार्यालयों की खरीद के लिये प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान करने के लिये ईंधन, तेल और स्नेहक, फोटोग्राफिक उपकरणों और मल्टीमीडिया प्लेयर, प्रोजेक्टर पेनल्स आदि सहित प्रोजेक्ट/सिनेमाई और प्रदर्शन उपकरण/ऑडियो विजुअल उपकरण	क्रय समिति मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार राशि रु. 10.00 लाख तक	राज्य सरकार के मानदंड अनुसार
15	पुस्तकों के मुद्रण, साहित्यिक प्रचार सामग्री, पोस्टर, पुस्तिका आदि के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना	क्रय समिति मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार शासकीय प्रेस हेतु संपूर्ण अधिकार	-
16	कार्यालय में किराए के वाहन के लिये निविदाएं स्वीकार करना	क्रय समिति	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
17	कार्यालय के आवर्ती व्यय के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	राज्य सरकार के मानदंड अनुसार
18	नये टेलीफोन/इंटरनेट कनेक्शन को मंजूरी देना तथा किराया और पुनः	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार (मुख्यालय हेतु)	राज्य सरकार के मानदंड अनुसार

क्र.	शक्तियों/अधिकारों का नाम	प्राधिकारी/समिति जिसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमार्क
	कनेक्शन शुल्क सहित टेलीफोन/मोबाईल शुल्क की स्वीकृति			
19	डाक शुल्क, टेलीग्राम शुल्क, फैंक्स शुल्क	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार (मुख्यालय हेतु)	राज्य सरकार के मानदंड अनुसार
20	कार्यालय भवन किराये पर लेने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार (पीआईयू हेतु)	राज्य सरकार के मानदंड अनुसार
21	विज्ञापन के लिये व्यय को मंजूरी देना	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	शासकीय संस्थाओं हेतु संपूर्ण अधिकार	मुख्यालय से जारी विज्ञापन हेतु
22	वाहन, कार्यालय उपकरण/मशीन/उपकरण, फर्नीचर एवं कम्प्यूटर और बाह्य उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत के लिये अनुमोदन	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	राज्य सरकार के मानदंड अनुसार
23	कार्यकारिणी/सशक्त/सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों हेतु सत्कार व्यवस्थाओं के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	-
24	प्राधिकरण मुख्यालय में अधिकारियों को पात्रतानुसार शासकीय/किराये के वाहन का आवंटन	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	-
25	लघु निर्माण कार्य/मरम्मत हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रमुख अभियंता	संपूर्ण अधिकार	-
26	म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के अंतर्गत निलंबन, विभागीय जांच संस्थित करने एवं लघु शास्ति अधिरोपित करना	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	श्रेणी-3 एवं 4 (अकार्यपालिक)	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
27	पीआईयू के युक्तियुक्तकरण के कारण क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त कार्मिकों एवं कार्यालयीन सामान का युक्तियुक्त वितरण	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	संपूर्ण अधिकार	-
वित्त प्रभाग				
28	वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	इकाईयों के महाप्रबंधकों तथा मुख्यालय में महाप्रबंधक तथा उनके नीचे के अधिकारी/कर्मचारी	-
29	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
30	चिकित्सा देयक की स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार	मात्र मुख्यालय हेतु प्रभावशील
31	महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की स्वीकृति	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार (मुख्यालय हेतु)	राज्य सरकार के मानदंड एवं आदेशानुसार

क्र.	शक्तियों/अधिकारों का नाम	प्राधिकारी/समिति जिसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमार्क
32	अग्रिम (त्यौहार/अनाज/वाहन/जीपीएफ/गृह ऋण आदि) को मंजूरी देना	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार (मुख्यालय हेतु)	राज्य सरकार के मानदंड एवं आदेशानुसार
33	वेतन, मजदूरी एवं अन्य भत्ते का आहरण	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)	संपूर्ण अधिकार (मुख्यालय हेतु)	-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रभाग				
34	मुख्यालय स्तर पर योजना से संबंधित समस्त कन्सलटेंट को भुगतानों की नियमानुसार स्वीकृति देना	मुख्य महाप्रबंधक (पीएमजीएसवाय)	संपूर्ण अधिकार	मुख्यालय स्तर के भुगतान हेतु लागू
विश्व बैंक एवं राज्य संपर्कता प्रभाग				
35	मुख्यालय स्तर पर योजना से संबंधित समस्त कन्सलटेंट को भुगतानों की नियमानुसार स्वीकृति देना	मुख्य महाप्रबंधक (विश्व बैंक एवं राज्य संपर्कता)	संपूर्ण अधिकार	मुख्यालय स्तर के भुगतान हेतु लागू
प्रमुख अभियंता प्रभाग				
36	शासकीय विभागों/अभिकरणों को कार्य हेतु आवश्यक देय शासकीय शुल्क/दर को भुगतान करने की स्वीकृति	क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक	संपूर्ण अधिकार	-
37	स्वीकृत पैकेज लागत के भीतर मार्ग की लंबाई की वृद्धि होने पर स्वीकृति	क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक	संपूर्ण अधिकार	-
38	पीएमजीएसवाय, राज्य संपर्कता, विश्व बैंक परियोजना, सीएमजीएसवाय या अन्य योजना में निर्मित (जिनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी है) मार्गों का अन्य शासकीय विभाग, शासकीय निकाय या शासन के उपक्रमों को हस्तांतरण करने की स्वीकृति	क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक	संपूर्ण अधिकार	-
39	10 वर्ष पश्चात संधारण के अनुबंध में प्रावधानित पुनर्डामरीकरण के अंतर्गत संपूर्ण लंबाई में पुनर्डामरीकरण की अनुमति देने के अधिकार	क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक	संपूर्ण अधिकार	-

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


 (नीतेश व्यास)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

पृ.क्र. 15359 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / स्था / 2017
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 21/06/2017.

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल/सागर/रीवा/जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. महाप्रबंधक (प्रशासन), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
8. गार्ड नस्ती।

Phu/6

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल